06.12.2019 पत्रावली आज पेश हुई।
अधिवक्ता प्रार्थी उप.।
अधिवक्ता अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

कल दिनांक 05.12.2019 को दौराने सुनवाई दोनों पक्षों की सहमती से पत्रावली वास्ते स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु आज दिनांक 06.12.2019 को सुबह 11.00 बजे रखी गई, इसके बावजूद भी अधिवक्ता अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने से वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने स्थगन आदेश पारित कराने हेतु निवेदन करते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जैर निगरानी भूखण्ड पर निर्माण किया जा रहा है, उक्त निर्माण कार्य के उन्होनें फोटोग्राफ भी पेश किए तथा कथन किया कि अगर निर्माण कार्य जारी रहा, तो उनके द्वारा प्रस्तुत निगरानी का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा एवं प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी एवं वाद बाहुल्यता भी बढ़ेगी। इसलिए जैर निगरानी भूखण्ड पर किसी प्रकार का निर्माण करने से अप्रार्थीगण को रोका जावे तथा अप्रार्थी आगे किसी को बेचाण हस्तान्तरण भी नहीं करें इस आशय का स्थगन आदेश पारित करावे।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ का अवलोकन किया गया। जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर अगर अप्रार्थी द्वारा निर्माण कर दिया जाता है अथवा हस्तान्तरण कर दिया जाता है, तो निश्चितरूप से निगरानी का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा एवं वाद बाहुल्यता भी बढेगी। इसके मध्यनजर रखते हुए ग्राम पंचायत नारलाई की वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए जाते है। अप्रार्थीगण रेकर्ड एवं मौके की यथा स्थिति आगामी आदेश तक बनाये रखे। विकास अधिकारी, देसूरी एवं ग्राम पंचायत नारलाई के नाम आदेश की तहरीर जारी होकर दस्ती अधिवक्ता प्रार्थी को दी जावें। बहस सुने जाने के पश्चात अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रकाश वैष्णव ने अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत की ओर से वकालतनामा पेश किया, जो शामिल मिसल हो। पत्रावली दिनांक 2019 को पेश हो।

जिला कलक्टर, पाली

पुनश्चः- आज दिनांक 06.12.2019 को दोपहर 02.00 बजे वकील अप्रार्थीगण उपस्थित हुए, जिन्होनें अप्रार्थीगण की ओर से इस प्रकरण में स्थगन प्रार्थना पत्र के संबंध में बहस हेतु निवेदन किया। न्यायहित में वकील अप्रार्थीगण को सुना गया। वकील अप्रार्थीगण ने फहरिस्त के साथ दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण बाबत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है तथा ग्राम पंचायत द्वारा अन्य प्रमाण पत्र जारी की छायाप्रति पेश की, जिसके अनुसार ग्राम पंचायत ने निर्माण किया जाने को नियमानुसार सही बताया तथा वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की ओर से सिविल न्यायालय देसूरी में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व

लगातार....

जिला कलेक्टर, पाली

2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. की प्रति पेश की गई। जिसके संलग्न कमीश्नर द्वारा मौका जांच रिपोर्ट भी पेश की जिसमें विवादग्रस्त स्थल को खाली बताया गया है तथा प्रार्थना पत्र गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना ही अस्वीकार कर दिया है। उक्त प्रार्थना पत्र में दो वाद बिन्दु बनाए गए। उपरोक्त दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्धारित किए गए है। ऐसी स्थिति में स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायोचित नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली इस शुमार फैसल होकर इस न्यायालय से नम्बर से कम हो तथा मूल पंचायत निगरानी संख्या 58/2019 के संलग्न हो।

जिला कलक्टर, पाली

जिला कलेक्टर, पाली

6/11/19